न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

(विधि शाखा)

ज्ञापांक 1669 /विधि सहरसा, दिनांक 09-6-2023

प्रतिलिपि :– (1) जिला पदाधिकारी, सहरसा को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा आँगनबाड़ी पुन0 वाद सं0–45/2022 में दिनांक–08.06.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है। साथ ही उनसे प्राप्त निम्न न्यायालय आँगनबाड़ी अपील वाद सं0–01/2018 से संबंधित अभिलेख कुल–251 पन्ना मूल में वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :–यथोपरि।

प्रतिलिपि :– श्रीमती नाजरूण निशा, पति–मो0 अरसद कादरी / अफसाना प्रवीण, पति–मो0 अफ़सर आलम, टोला सा0–भट्ठा टोला, रानीबाग नहर टोला, वार्ड नं0–13, थाना–बख्तियारपुर, जिला–सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३

न्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद संख्या–45/2022

अजरूण निशा .....पुनरीक्षणकर्त्ता

–बनाम–

अफसाना प्रवीण एवं अन्य.....रेसपॉण्डेन्ट

–:: आदेश ::–

प्रस्तुत आँगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद अजरूण निशा, पति–मो0 अरशद कादरी, सा0–भट्ठा टोला, रानीबाग, नहरटोला, वार्ड नं0–13, नगर पंचायत सिमरी बख्तियारपुर, जिला–सहरसा के द्वारा न्यायालय समाहर्त्ता / जिला पदाधिकारी, सहरसा के आँगनबाड़ी अपील वाद सं0–01/2018 में दिनांक 23.12.2021 को पारित आदेश के पुनरीक्षण हेतु लाया गया है, जिसके द्वारा न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सहरसा के आँगनबाड़ी वाद सं0–02/2017 श्रीमती अफसाना प्रवीण बनाम राज्य एवं अजरूण निशा वगैरह में पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा दायर अपील आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है।

पुनरीक्षणकर्त्ता का मूल रूप से कहना है कि आँगनबाड़ी केन्द्र सं0–181 रानी बाग, नहर टोला, वार्ड नं0–13, नगर परिषद, सिमरी बख्तियारपुर, जिला–सहरसा के आँगनबाड़ी सेविका पद पर उनका चयन दिनांक 29.09.2012 को वार्ड पार्षद श्री नरेश कुमार निराला की अध्यक्षता में सम्पन्न आमसभा द्वारा किया गया। उक्त चयन के आलोक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर के कार्यालय पत्रांक 435, दिनांक 11.10.2012 से अपीलार्थी को चयन पत्र दिया गया तथा योगदान की तिथि से वे ईमानदारीपूर्वक अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करती रहीं। विपक्षी सं0–01, अफसाना प्रवीन ने अपीलार्थी के चयन के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में C.W.J.C No. 14881/2013 दायर किया था, जिसके कंडिका–04 में अभिकथन किया गया था कि प्रश्नांकित केन्द्र पिछड़ी जाति मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षित है। बाद में अफसाना प्रवीण ने वाद वापस ले ली। तत्पश्चात

मो0 अमानुल्लाह नाम के व्यक्ति द्वारा इस संबंध में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सहरसा के समक्ष दायर अनन्य वाद सं0-412118004 111600017-18 में दिनांक 11.01.2017 को पारित आदेश के द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सहरसा को परिवादी के परिवाद का शीघ्र निराकरण करने का निदेश दिया गया। तदालोक में न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सहरसा के द्वारा उभय पक्षों को सुनने के उपरान्त दिनांक 26.12.2017 को आदेश पारित कर उक्त केन्द्र पर सेविका पद हेतु पुनरीक्षणकर्त्ता अजरूण निशा के चयन को नियमानुसार गलत पाते हुए चयनमुक्त कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षणकर्त्ता के द्वारा जिला पदाधिकारी, सहरसा के समक्ष आँगनबाड़ी अपील वाद सं0-01/2018 दायर किया गया, जिसमें उभय पक्षों को सुनने के उपरान्त दिनांक 23.12.2021 को आदेश पारित किया गया कि सेविका के पद पर अपीलार्थी/पुनरीक्षणकर्त्ता का चयन विभागीय मार्गदर्शिका, 2011 एवं सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 423 दिनांक 03.02.2012 सेविका/सहायिका चयन हेतु मार्गदर्शिका, 2011 में संशोधित कंडिका-4-2 का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए किया गया है। उपरोक्त कंडिका में अल्पसंख्यक को सामान्य अत्यंत पिछड़ा, पिछड़ा ईत्यादि में सेविका/सहायिका चयन हेतु नहीं बाँटा गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को अल्पसंख्यक समाज के पिछड़ा वर्ग के होने के कारण चयन किया जाना विधिसम्मत नहीं है। अपितु पोषक क्षेत्र में निवासित अल्पसंख्यक समाज के अभ्यर्थियों को एक समाज मानते हुए अत्यंत मेधा वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाना चाहिये था, परन्तु ऐसा नहीं कर कम मेधा क्रमांक पर अंकित अपीलार्थी का चयन किया गया, जो सरासर गलत अवैध एवं न्याय से परे है। उक्त आदेश से क्षुब्ध तथा असंतुष्ट होकर पुनरीक्षणकर्त्ता के द्वारा प्रस्तुत वाद दायर किया गया है। उनके अनुसार जिला पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.12.2021 अनुचित, अवैधानिक एवं गलत है। पुनरीक्षणकर्त्ता का कहना है कि जिला पदाधिकारी, सहरसा एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में उक्त रीट के विरूद्ध दिनांक 25.02.2014 को प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किया गया जिसके कंडिका-06 में अभिकथन किया गया है कि वार्ड आयुक्त श्री नरेश कुमार निराला की अध्यक्षता में दिनांक 29.09.2012 को आमसभा के द्वारा अजरूण निशा का चयन किया गया, जो अत्यन्त पिछड़ा बाहुल्य की है एवं अफसाना प्रवीण शेख जाति के अन्तर्गत आती है। उक्त प्रतिशपथ-पत्र की कंडिका-13 में अपीलार्थी के चयन को विधिसम्मत एवं उचित बताया गया है। विपक्षी सं0-01 अफसाना प्रवीण के संबंध में वादी का कहना है कि उसके परिवार के मुखिया (पति / ससुर) का नाम भी आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या-181

के मैपिंग पंजी में लाभुक के रूप में दर्ज नहीं है, उल्लेखनीय है कि निम्न न्यायालय ने अपने आदेश में भी इस बात को स्वीकार किये हैं कि विपक्षी सं0-01, अफसाना प्रवीण एवं स्व0 अमानुल्लाह आँगनबाड़ी पोषक क्षेत्र सं0-35 के निवासी हैं न कि पोषक क्षेत्र संख्या-181 के। विपक्षी सं0-01 का नाम पोषक क्षेत्र सं0-35 के क्रमांक 59 पर दर्ज है। प्रतिवादी अफसाना प्रवीण उर्फ अफसाना खातुन, पति-मो0 अफसर आलम केन्द्र सं0-35 के क्रमांक-59 पर खाता संख्या 21312190 द्वारा मो0 3,000/- रू0 इन्दिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना का लाभ प्राप्त की है जो सूचना के अधिकार से प्रमाणित है तथा अफसाना प्रवीण के पोषक क्षेत्र सं0-35 का निवासी होने की पुष्टि करता है। आगे उनका कहना है कि अफसाना प्रवीण आँगनबाड़ी पोषक क्षेत्र सं0-35, वार्ड नं0-13 के अन्तर्गत 12 स्वयं सहायक समूहों में वित्तीय अनियमितता के कारण बर्खास्त हुई है। उनका कहना है कि दिनांक 29.09.2012 के प्रोसिडिंग के रजिस्टर में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि अपीलार्थी का चयन मैंपिग पंजी के अनुसार बाहुल्य वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग से किया गया है। वादी का कहना है कि सचिव, समाज कल्याण विभाग बिहार, पटना के ज्ञापांक 423 दिनांक 03.02.2012 के द्वारा दिये गए निर्देश कंडिका-4.2 के अनुसार "चयन प्रक्रिया में बाहुल्य वर्ग की अनिवार्यता रहेगी", जो बिहार सरकार की विभिन्न अधिसूचनाओं/संकल्पों द्वारा सम्पोषित किया गया वर्ग जाति समूह है। उनका कहना है कि विद्वान समाहर्त्ता महोदय ने अपील वाद सं0-01/2018 के अर्जी के कंडिका-17 में वर्णित उपरोक्त बाहुल्य वर्ग से संबंधित दिशा-निर्देश को भी नजर अंदाज कर दिया। वादी का कहना है कि ग्रामसभा के द्वारा ज्ञापांक 423 दिनांक 03.02.2012 के आलोक में परिभाषित बाहुल्य वर्ग से सभी अभ्यर्थी एवं लाभुकों को अवगत कराया गया, जिसपर किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई। उनके अनुसार आमसभा में आँगनबाड़ी केन्द्र सं0-181 के सर्वे पंजी के अनुसार "बाहुल्य वर्ग" अर्थात् अत्यन्त पिछड़ा वर्ग से सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली अभ्यर्थी अजरूण निशा को सेविका के रूप में चयन किया गया था। तदालोक में वादी के द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें पुनः नियोजित करने हेतु आदेश देने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी अफसाना प्रवीण की ओर से लिखित जबाव दाखिल करते हुए बताया गया है कि वे सिमरी बख्तियारपुर उत्तरी ग्राम पंचायत वार्ड नं0-10 वर्तमान नगर पंचायत वार्ड नं0-23 के आँगनबाड़ी केन्द्र सं0-181 रानीहाट के पोषक क्षेत्र की स्थाई निवासी है। उनका कहना है कि आँगनबाड़ी केन्द्र सं0-181 रानीहाट नहर के लिए सेविका पद की बहाली हेतु दिनांक

21.01.2012 को उनके द्वारा आवेदन दिया गया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने दिनांक 14.03.201 को पत्र निर्गत कर सिमरी बख्तियारपुर परियोजना हेतु अलग-अलग तिथि, समय तथा स्थान निर्धारित की गई, जिसके अनुसार केन्द्र संख्या-181 रानीहाट नहर का प्राथमिक विद्यालय, रानीहाट भट्ठा टोला में दिनांक 29.03.2012 को अपराह्न 2:00 बजे समय निर्धारित था। उक्त तिथि व समय पर आमसभा वार्ड सदस्य-सह-मुखिया मो0 अहमद कादरी की अध्यक्षता में हुई थी कुल 07 अभ्यर्थियों के आवेदन की समीक्षा उपस्थित ग्रामीणों के समक्ष की गई। जिसमें वार्ड सदस्य-सह-उप मुखिया अहमद कादरी की भाभी अजरूण निशा का आवेदन इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि जन प्रतिनिधि के परिवार को सेविका के पद पर चयन नहीं किया जा सकता। दो अभ्यर्थी के पोषक क्षेत्र से बाहर का होने के आधार पर आवेदन रद्द कर दिया गया तथा शेष 04 (चार) अभ्यर्थियों में से उनको फोकनियाँ में 65.58% तथा मौलवी का बोनस अंक 07 कुल 72.58% रहने के कारण प्रथम स्थान पर तथा सितारा बानों पति-जाकिर हुसैन को 65.63% को दूसरा स्थान प्राप्त था। उक्त बैठक में मेधा सूची नियमानुसार तैयार नहीं था तथा सूची पर न तो अध्यक्ष और न ही बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का हस्ताक्षर था। उक्त आमसभा में उनका (विपक्षी सं0-01) का चयन सबसे अधिक अंक एवं उक्त केन्द्र के पोषक क्षेत्र की निवासी होने का आधार पर ग्रामीणों के समक्ष सेविका के पद पर किया गया था। किन्तु वादी अजरूण निशा के देवर उप मुखिया के इशारे पर बाल विकास परियोजना ने सभी कागजात की जाँच पड़ताल की बात कहकर उन्हें चयन पत्र नहीं दिया। उक्त आमसभा के सी0डी0/प्रस्ताव वाले सभी कागजात को गायब कर दिया गया। तत्पश्चात दिनांक 15.08.2012 को बिना किसी नोटिस के उसी स्थान पर आमसभा कराई गई, जिसमें भी अफसाना प्रवीण चयनित की गई थी, लेकिन पूर्व की तरह बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बहाना बनाकर चली गई। विपक्षी सं0-01 का आगे कहना है कि 29.09.2012 को गुपचुप तरीके से बिना नोटिस निर्गत किये एक पेड़ के नीचे वार्ड पार्षद नरेश कुमार निराला की अध्यक्षता में आमसभा आयोजित हुई, जिसमें विपक्षी सहित कुल 06 आवेदिका उपस्थित हुई। सभी के द्वारा उपस्थिति पर हस्ताक्षर बनाया गया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने बगल के आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या-35 की सेविका

कान्ता कुमारी को बुलाकर पूछताछ किया। सेविका कान्ता कुमारी ने बताया कि आवेदिका सफाना गिरी, पति-अख्तर हसन एवं जीतन प्रवीण, पति-सलाहउद्दीन दोनों आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या-181 के पोषक क्षेत्र से बाहर है यानि केन्द्र संख्या-35 के पोषक क्षेत्र में है। शेष बचे आवेदिका का प्रथम पक्ष अफसाना प्रवीण एवं अन्य आवेदिका का घर आँगनबाड़ी केन्द्र सं0-181 के पोषक क्षेत्र में है, जिसे अध्यक्ष नरेश कुमार निराला एवं उपस्थित ग्रामीणों ने भी समर्थन किया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने समाज कल्याण विभाग के पत्रांक 423 दिनांक 03.02.2012 के नियम को नजर अंदाज कर विपक्षी अफसाना प्रवीण के उपर मुस्लिम अत्यन्त पिछड़ा वर्ग से नहीं होने का आरोप लगाकर पत्रांक 25/कैम्प दिनांक 29:09.2012 द्वारा अंचल अधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर से जाति प्रमाण-पत्र की जाँच की मांग की। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा अंचल अधिकारी के जाँच प्रतिवेदन आने से पूर्व ही पत्रांक 436 दिनांक 11.10.2012 की पुनरीक्षणकर्त्ता अजरूण निशा को चयन पत्र निर्गत कर दिया गया। अंचल अधिकारी का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 160-2 दिनांक 12.02.2013 से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर को भेजा गया। विपक्षी सं0-01 का कहना है कि अंचल अधिकारी के द्वारा भी उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिये बिना जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। विपक्षी संख्या-01 का कहना है कि सेविका / सहायिका चयन हेतु मार्गदर्शिका, 2011 की कंडिका-4.2 का उल्लंघन कर वादी का चयन किये जाने के कारण ही जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के आदेश दिनांक 26.11.2017 के द्वारा वादी को चयनमुक्त किया गया, जिसको जिला पदाधिकारी, सहरसा के द्वारा आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0- 01/2018 पारित आदेश दिनांक 23.12.2021 के द्वारा सम्पुष्ट किया गया। तदालोक में विपक्षी सं0-01 के द्वारा इस पुनरीक्षण वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष को सुनने के उपरान्त उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख पर रक्षित कागजातों तथा निम्न न्यायालय अभिलेख के रूप में प्राप्त साक्ष्य/कागजातों के परिशीलनोपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुँचा जाता है कि वादी का चयन दिनांक 29.09.2012 को आमसभा के द्वारा किया गया तत्समय प्रवृत विभागीय मार्गदर्शिका, 2011 तथा विभागीय पत्रांक-423 में प्रावधानित

है कि चयन प्रक्रियाओं में बाहुल्य वर्ग की अनिवार्यता रहेगी। उक्त मार्गदर्शिका के अनुसार बाहुल्य वर्ग की में अल्पसंख्यक वर्ग स्वतंत्र रूप में प्रावधानित है। तदालोक में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश तत्समय प्रवृत मार्गदर्शिका के प्रावधानों के अनुरूप एवं सही है। उक्त के आलोक में निम्न न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः इस पुनरीक्षणवाद को खारिज करते हुए वादी की कार्यवाही समाप्त की जाती है। निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख वापस किया जाय तथा इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

लेखापित एवं संशोधित।

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।